

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2252] No. 2252] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2016/भाद्र 24, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2016/BHADRA 24, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,15 सितम्बर, 2016

का.आ. 2954(अ).— यत: नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खंड-44 के उपबंधों के अनुसार दिनांक. 19.03.2016 के का.आ. सं.1159(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खंड 11-ए के उपखंड(3) द्वारा यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सङ्गाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यत: दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपित्तियों/सुझावों पर विचार किया गया है; और
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान-2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
- 4. अत:, अब उक्त अधिनियम के खंड 11 ए के उपखंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

4440 GI/2016 (1)

संशोधन :

जोन-''डी'' में आने वाले निम्न भू-क्षेत्र का उपयोग नीचे दिए विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :-

अवस्थिति	क्षेत्रफल			सीमाएं
		क अनुसार भूाम उपयोग	परिवर्तित किया जाना है	
1	2	3	4	5
योजना जोन''डी'' में आने वाले		'आवासीय'	'सरकारी	उत्तर: नेवल ऑफिसर्स मेस
2-ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली में			(सरकारी कार्यालय)'	दक्षिण: मौजूदा पेट्रोल पंप एवं
भारत के महापंजीयक और	मी.			मौजूदा रोड़ पूर्व: कारपोरेट कार्य मंत्रालय का
जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय,				कार्यालय एवं शाहजहां रोड
भारत सरकार, का प्रस्तावित	(0.3019			पश्चिम: मानसिंह रोड
कार्यालय भवन	हैक्टेयर)			

[सं.के-13011/7/2015-डीडी-I]

भूपेन्द्र बहुगुणा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (Delhi Division) NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2016

- **S.O. 2954(E).**—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 1159(E) dated 19.03.2016 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by subsection(3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of said notice.
- 2. Whereas objections/suggestions with regard to the proposed modification have been considered by the Delhi Development Authority; and
- 3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The land use of the following area of land falling in Zone-D is changed as per description listed below:

Location	Area	Land use as per MPD-2021	Land use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Proposed office building of	3019.5	'Residential'	'Government	North: Naval Officers Mess
Registrar General and	sq.m.		(Government	South: Existing Petrol Pump &
Census Commissioner,	(0.3019 ha.)		Office)'	Existing Road
India, Ministry of Home				East: Office of the Ministry of
Affairs, Government of India				Corporate Affairs & Shahjahan
at 2-A Mansingh Road, New				Road
Delhi, falling in Planning				West: Mansingh Road
Zone-'D'.				

[F.No. K-13011/7/2015-DD.I]

BHUPENDRA BAHUGUNA, Under Secy.